

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर  
प्रकरण संख्या 127/2019 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र )  
सरजू देवी पत्नी श्री प्रभूलाल चौपडा जाति जाट निवासी चौपडा फार्मस, ग्राम गणपतपुरा चक नम्बर  
-1, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री जगत राजेश्वर आर ए एस पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी जयपुर दक्षिण ।
2. श्रीमती नीरजा मोदी पत्नी श्री विष्णु मोदी जाति महाजन निवासी प्लाट नम्बर डी-46, मालवीय  
नगर सी-स्कीम, जयपुर, तहसील व जिला जयपुर ।
3. प्रेम देवी धर्मपत्नी श्री रामस्वरूप चौपडा
4. राजू देवी धर्मपत्नी श्री राम प्रसाद चौपडा
5. नन्दु देवी धर्मपत्नी श्री कैलाश चौपडा  
समस्त जाति जाट निवासी चौपडा फार्मस, ग्राम गणपतपुरा चक नम्बर -1, तहसील सांगानेर,  
जिला जयपुर ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर ।

अप्रार्थी

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत बाबत उपखण्ड अधिकारी जयपुर दक्षिण के  
समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 339/2019 ब उनवानी नीरजा मोदी बनाम  
सरजू देवी को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने बाबत ।



1. श्री रमेश शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री रामजीलाल चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 14-10-2019

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर  
दक्षिण के समक्ष प्रकरण संख्या 339/2019 ब उनवानी नीरजा मोदी बनाम सरजू देवी विचाराधीन  
है। दिनांक 20.08.2019 को प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री बृजराज जोशी उपस्थित हो कर  
आगामी पेशी पर अभिभाषण पत्र प्रस्तुत करने हेतु अप्ण्डर टेकिंग दी गई और साथ में वाद पत्र की  
प्रतिलिपि प्राप्त नहीं होने की आपत्ति दर्ज कराई गई। पत्रावली वारते अग्रिम कार्यवाही हेतु आगामी  
पेशी दिनांक 27.08.2019 नियत की गई। दिनांक 27.08.2019 को प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री  
ललित शरण शर्मा ने न्यायालय में उपस्थित हो कर वकालतनामा प्रस्तुत किया ओर वाद पत्र की  
नकल मांगी। न्यायालय द्वारा वाद पत्र की नकल उपलब्ध कराये बिना ही आगामी पेशी दिनांक  
17.09.2019 को वास्ते जबाब दावा नियत कर दी गई। दिनांक 29.08.2019 को अप्रार्थी संख्या 2 ने

जिला कलक्टर  
जयपुर

एक विविध प्रार्थना पत्र बाबत शीघ्र सुनवाई का प्रस्तुत किये जाने पर बिना विविध प्रार्थना पत्र पंजिका में दर्ज किये बिना ही मिन प्रार्थी को नोटिस बिना नकल आवेदन शीघ्र सुनवाई का बाबत हेतुक दर्शित किये जाने हेतु दिनांक 03.09.2019 की पेशी नियत की गई का प्राप्त हुआ। दिनांक 03.09.2019 को प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थित हो कर वकालतनामा पेश कराना चाहा तो न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने कहा कि यह प्रार्थना पत्र वाद में एक अन्तरिम प्रार्थना पत्र है इसलिए वकालतनामा पेश करने की आवश्यकता नहीं है। इस बात पर अधिवक्ता ने अनुरोध किया कि यह प्रार्थना पत्र वाद में अन्तरिम प्रार्थना पत्र नहीं हो कर विविध प्रार्थना पत्र है जिसका प्रथम से दर्ज किया जाना व सुनवाई कर निर्णित किया जाना कानूनन आवश्यक है। तत्पश्चात प्रार्थी के अभिभाषक ने उक्त प्रार्थना पत्र की नकल नहीं मिलने की आपत्ति करने पर न्यायालय द्वारा नकल प्रार्थना उपलब्ध कराया गया और उक्त प्रार्थना पत्र के जबाब हेतु पेशी दिनांक 04.09.2019 नियत की गई जबकि अन्य पक्षकारान की तलबी होना शेष है, जिसके संबंध में किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया गया। दिनांक 04.09.2019 को प्रार्थी की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया तथा अन्य पक्षकारान की तलबी नहीं होने के सम्बन्ध में निवेदन किया गया, किन्तु न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने कहा कि आप तो अपने पक्षकार की पैरवी करे। उक्त आवेदन पर बहस हेतु आगामी पेशी दिनांक 09.09.2019 नियत कर दी गई। दिनांक 05.09.2019 को उक्त सम्पूर्ण पत्रावली की नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर पीठासीन अधिकारी ने यह कहा कि अभी अन्य कार्य में व्यस्त हूं और दिनांक 04.09.2019 की आर्डरशीट लिखी नहीं गई है ऐसी स्थिति में नकल उपलब्ध नहीं होगी। वाद का गुणावगुण का निस्तारण किये जाने हेतु विधि द्वारा स्थापित कानून सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रावधानों के अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1 के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए मान्य न्यायालय ने उक्त उनवानी प्रकरण में जबाब हेतु 30 दिवस पूर्व की पेशी दिनांक 17.09.2019 नियत कर दी गई तथा राजस्थान रेवेन्यू कोट मैनुअल 1956 के नियत 119 के अनुसार 60 दिवस से पूर्व पेशी नियत कर दी गई। उल्लेखनीय है कि उक्त समयवाधि वाद पत्र की प्रतिलिपि प्राप्त होने से प्रभावी मानी जावेगी मिन प्रार्थी को अभी तक वाद पत्र की प्रतिलिपि मान्य न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई। ऐसी अवस्था में प्रार्थी द्वारा वाद का जबाब दावा प्रस्तुत किया जाना सम्भव नहीं है वाद पत्र की प्रतिलिपि उपलब्ध होने से 30 दिवस की समयवाधि में आदेश 08 नियम 01 सीपीसी के अन्तर्गत जबाब दिया जाना उक्त कानून के आज्ञात्मक प्रावधानों की पालना करना है। उक्त प्रावधानों के विपरीत पीठासीन अधिकारी द्वारा वाद पत्र की नकल उपलब्ध कराये बिना ही जबाब दावा हेतु तारीख पेशी दिनांक 17.09.2019 अंकित कर दी गई तथा उक्त तारीख से पूर्व ही प्रार्थी संख्या दो के द्वारा शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर वाद की शीघ्र सुनवाई प्रारम्भ कर दी गई जो कि स्पष्ट रूप से विधि द्वारा स्थापित कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा रहा है। अप्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत वाद दिनांक 24.06.2019 को पंजीकृत किया जा कर प्रार्थी को दिनांक 20.08.2019 की पेशी के सम्मन बिना नकल वाद पत्र के प्राप्त हुए है ऐसी स्थिति में वाद पुराना नहीं है जिसमें की अभी पक्षकारान की तलबी व जबाब प्रस्तुत होना शेष है जिसके लिये कानून के उपरोक्त वर्णित प्रावधान स्पष्ट है कि जबाब हेतु 30 दिवस की तारीख पेशी नियत की जानी चाहिये जिसके बजाय पीठासीन अधिकारी उक्त कानून की अनदेखी करते हुये स्वेच्छाकारित से कार्यवाही सम्पादित कर रहे है। उक्त पीठासीन अधिकारी प्रार्थी संख्या एक के द्वारा वाद में की जा रही स्वेच्छाकारी



जिला न्यायालय  
जयपुर

कार्यवाही से प्रार्थी को निष्पक्ष कानूनी न्याय मिलने की सम्भावना पूर्णरूप से क्षीण हो गई है। ऐसा कथन अंकित कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर दक्षिण से बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री हीरालाल चौधरी ने वकालतनामा व जबाब पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
5. प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी जयपुर दक्षिण के पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्ति में शंका जाहिर की है। प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओं की फोटो प्रति पेश की गई है उनसे ऐसा कुछ प्रकट नहीं होता है जिससे प्रार्थी के कथनों की पुष्टि हो सके। सम्पूर्ण तथ्यों पर गौर करने एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर दक्षिण से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन से परिलक्षित होता है कि उपखण्ड अधिकारी जयपुर दक्षिण के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।
6. उपखण्ड अधिकारी जयपुर दक्षिण को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जा कर प्रकरण का मैरिट पर निस्तारण करें।
7. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी जयपुर दक्षिण को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 14-10-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।



(जगरूप सिंह यादव)  
जिला न्यायाधीश  
जयपुर